संख्या:28/2022/1616737/12-2099/46/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकरी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2022

विषय: गेहूं के फसल अवशेष को पशुओं के चारे/भूसा संग्रह कर निराश्रित गौ-शालाओं में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश में कुल लगभग 98 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की जाती है। विगत कुछ वर्षों में कृषक मजदूरो की कमी होने के कारण गेहूं की कम्बाइन से कटाई/मड़ाई के क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी के कारण फसल अवशेष को जलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने के फलस्वरूप वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ मिट्टी के पोषक तत्वों की अत्यधिक क्षति होती है। साथ ही मिट्टी के भौतिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. अतएव, गेहूं की कटाई सन्निकट देखते हुए गेहूं के फसल अवशेष को एक्स-सीटू प्रबन्धन के अन्तर्गत पशुओं के चारे/भूसा संग्रह कर निराश्रित गौ-शालाओं मे रखे जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(I) पशुओं को गेहूं के फसल अवशेष को चारे/भूसे के रूप मे सर्वाधिक़ दिया जाता है तथा यह पशुओं द्वारा चारे के रूप में बहुत पसन्द भी किया जाता है। गेहूं के फसल अवशेष चारे/भूसा का मूल्य बहुत अधिक होता है। गेहूं की कटाई/मड़ाई के समय गेहूं के फसल अवशेष चारे/भूसा के रूप में रू. 4.00 से रू. 5.00 प्रति किलो होता है, जो माह सितम्बर से मार्च तक मूल्य लगभग रू. 10.00 से रू. 12.00 प्रति किलो हो जाता है। अतएव, ऐसे कृषक जो कम्बाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई कर फसल अवशेष खेतों मे छोड़ देते है, उन कृषकों के खेतों से गेहूं के फसल अवशेष को स्ट्रा-रीपर से चारे/भूसे के रूप में परिवर्तित कराकर निराश्रित गौ-शालाओं में आपूर्ति कराई जाए।

(II) कृषकों के खेतों से गेहूं के फसल अवशेष को इक्ट्ठा कराकर इसका उपयोग निराश्रित गौ- शालाओं में कराया जाए।

(III) यह कार्य पशुपालन विभाग द्वारा समन्वित कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(IV) कृषको के खेत से गेहूं के फसल अवशेष संग्रह करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मनरेगा अथवा वित्त आयोग द्वारा की जाए।

(V) कृषकों के खेतों से गौ-शाला स्थल तक पराली का ढुलान पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:1076/33-1-2020-3003/2017, दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर-2 के अनुरूप किया जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:28/2022/1616737(1)/12-2099/46/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पर्यावरण विभाग/ पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।